न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामदयाल बनाम तथाकथित मंदिर श्री दादूदयाल वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 188/2026 (मौजमाबाद)

	श्री रामसुख चौधरी श्री मुकेश जैन/सी0पी0पाराशर 01	
29.05.2026	रामदयाल बनाम बनाम तथाकथित मंदिर/श्री दादूदयाल(2026/188) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 07.05.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
07.05.2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 29.04.2026 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने आपकों तथाकथित मंदिर/मठ/दादू संप्रदाय का कार्यकारी प्रन्यास बताना कथन कर उसे प्रन्यास क्रमांक 43/दिनांक 18.12.2006 दस्तावेज के माध्यम से अपने आपकों वादग्रस्त आराजी का कार्यकारी प्रन्यासी कथन कर आ रहा है। इसके विपरित नामान्तकरण संख्या 780 दिनांक 23.05.1981 को अवैध व गैरकानूनी बताते हुए कथन रहा हे कि पर्चा लगान संवत 2011 श्री कनीराम जी चेला महताबदास कौम दादूपंथी व नारायण दास चेला रामकादास कौम दादूपंथी के नाम से जो जारी किया गया उक्त पर्चा लगान व्यक्तिगत रूप से (खातेदारी की हैसियत से) जारी नही कर तथाकथित मंदिर/मठ/दादू सम्प्रदाय के नाम से जारी होना व्यक्त किया है। उक्त इन्द्राज को प्रन्यास प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.2006 के माध्यम से चुनौती प्रदान की है जो विधितः चलने योग्य नहीं है, इसके उपरांत उक्त वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजीयात बाबत पूर्व में वाद संख्या 20/2005 व टी0आई0 संख्या 11/2005 प्रस्तुत किया था जिसे उसके द्वारा दिनांक 02.07.2012 को विड्रो कर लिया तत्पश्चात वाद संख्या 50/2013 (279/2012) प्रस्तुत किया जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2025 को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज कर लिया गया है। उक्त वास्तविक दस्तावेजी साक्ष्य से परीक्षण न्यायालय से तथ्य छुपाकर नया वादपत्र एवं टी0आई0 प्रार्थना पत्र संख्या 74/2026 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के समक्ष प्रस्तुत कर एकतरफा आदेश पारित करवाया है। उपखण्ड अधिकारी, महोदय मौजमाबाद ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस वादग्रस्त आराजीयात में से 1/2 हिस्सा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2007 से सद्भाविक क्रेता की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या द्वारा समय–समय पर वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण/अपीलांटस को अपने जायज हक व अधिकारों तथा राज्य सरकार की योजनाओं से राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामदयाल बनाम तथाकथित मंदिर श्री दादूदयाल वगैरह

किस्म मुकदमा:–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 188/2026 (मौजमाबाद)

अपीलांटस को वंचित करने के आशय से बार–बार प्रकरण प्रस्तुत कर अपीलांट को हैरान व परेशान किया जा रहा है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का आचरण सद्भावी नहीं होकर हमेशा दुराशय का रहा है ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से इस अपील के माध्यम से निरस्त योग्य है।

प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काविज काश्त चले आ रहे किन्तु रेस्पोडेन्ट विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हो रहा है एवं प्रार्थीगण राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 की क्रियान्विति को ताफैसला अपील स्थगित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2014 (1) डीएनजे (राज0) पेज संख्या 35, 2021 आर0बी0जे0 पेज संख्या 222 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब/बहस निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये गये है, जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच जगदीश बनाम भोपालाराम में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार अपील को इसी स्तर पर ही खारिज फरमाया जाना आवश्यक है।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मौखिक आपत्ति मे निवेदन किया कि अपील पोषणीय नही है। इस संबंध में हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 2014 (1) डीएनजे (राज0) पेज संख्या 35, 2021 आर0बी0जे0 पेज संख्या 222 के न्यायिक दृष्टांत तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद वनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन **2014 (1) डीएनजे (राज0) पेज संख्या 35 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित कोई भी आदेश चाहें वो अंतरिम हो या अंतिम अपील योग्य है।**

तथा 2021 आर0बी0जे0 पेज 222 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955– धारा 221 व 225–एस0डी0ओ0 द्वारा पारित अन्तरिम आदेश अपील योग्य है इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।

उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है अतः अपील कानूनी रूप से न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो पाया कि पर्चा लगान संवत 2011 श्री कन्नीराम जी चेला महतावदारा कौम दादूपंथी व नारायण दास चेला रामकादास कौम दादूपंथी के नाम से जो जारी किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त अपीलाधीन वादग्रस्त आराजीयात में से 1/2 हिस्सा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामदयाल बनाम तथाकथित मंदिर श्री दादूदयाल वगैरह

किस्म मुकदमा:–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 188/2026 (मौजमाबाद)

दिनांक 07.09.2007 द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार से क्रय किया गया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सद्भाविक क्रेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश रिकॉर्डेड खातेदारान को बिना सुने जारी किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये अंतरिम स्थगन आदेश से अपीलांट जो कि एक रिकॉर्डेड खातेदार से क्रय कर सद्भाविक क्रेता है, जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से राज्य सरकार की योजनाओं एवं कृषि आराजीयात के लाभ लेने से वंचित रहना भी प्रतीत होता है। एक रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने से अपूरणीय क्षति अपीलांट को कारित होना पाया जाता है। रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत उसे सुनवाई का समुचित समय दिया जाना चाहिए था, विधि यह सुस्थापित है कि रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी तरह की काई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1410 पेश किये जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि :– "No T.I. can be granted against the recorded khatedar."। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में एक रिकॉर्डेड खातेदार को बिना किसी सुनवाई का विधिक अवसर दिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में यदि वादी/रेस्पोडेन्ट के किसी प्रकार से हक हिस्सा निहित है तो उसका निस्तारण वाद साक्ष्य गुणावगुण पर मूल वाद में तय किया जाएगा।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है अतः पक्षकारों के समय एवं आर्थिक व्ययता के मध्यनजर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः **अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 74/2026 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए प्रकरण में 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टिनेन्सी एक्ट संख्या । 88 सन 2026 जिला जयपुर

1. रामदयाल पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. कैलाश पुत्र बोदूराम निवासी रघुनाथपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।

..............अपीलांटस

बनाम

1. तथाकथित मंदिर/ श्री दादूदयाल सम्प्रदाय ट्रस्ट सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष प्रन्यासधारी महन्त गोकुल दास स्वामी चेला मानदास स्वामी दादूपंथी दादूद्वारा सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक मौजमाबाद जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर।

.........असल रेस्पोडेन्ट

4. राजूदास दत्तक पुत्र गोरधनदास जाति दादूपंथी स्वामी निवासी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी दादूद्वारा नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
5. प्रेमदास चेला भागीरथदास जाति दादूपंथी निवासी सावरदा तहसील दूदू जिला जयपुर।
6. प्रेमदास चेला मनसादास जाति दादूपंथी निवासी दयालपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

..........तरतीबी रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय मौजमाबाद जिला जयपुर दिनांक 13.4.2026 जो उनके द्वारा प्रकरण सं0 74/2026 बउनवानी मंदिर श्री दादूदयाल बनाम राजूदास व अन्य में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलाण्टस की ओर से निम्न निवेदन है:-

188/2026
21/4/26

C/R
23/4/26

Scanned with CamScanner